

प्रेस नोट थाना बासगांव दिनांक 23-12-2020

गिरफ्तारी एक नफर गैंगस्टर अभियुक्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) व के पर्यवेक्षण मे तथा क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह को मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि साहब आपके मुकदमा उपरोक्त मे वाँछित अभियुक्त **सौरभ जायसवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी मकान नं0 24 विजय बैंकवेट हाल के पीछे नियामत चक थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर** किसी घटना को अंजाम देने हेतु डिघवा पेट्रोल पम्प तिराहा पर खड़ा है। और कही जाने के फ़िराक में है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम डिघवा पेट्रोल पम्प तिराहा के पास पहुँची तो एक व्यक्ति खड़ा था। जो पुलिस टीम की गाड़ी देखते ही पीछे मुड़कर भागना चाहा कि पुलिस टीम गाड़ी खड़ा करके हिकमत अमली से घेर-घार कर हमराहियान की मदद से 10-15 कदम दौडाकर पकड लिया गया तथा भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मै आप लोगो को देखकर डर गया और भागने लगा मै थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर मे मु0अ0सं0 673/2020 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट मे वाँछित अभियुक्त हूँ। पकड़े हुये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ उपरोक्त बताया। जिसे कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजापता बाकायदा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए समय करीब 6.40 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना लाकर दाखिल कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 673/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 313/2018 धारा 60/60ए/62/72 आबकारी एक्ट व 272/420/467/468 भादवि बेलीपार

नाम पता अभियुक्तगण-

1. सौरभ जायसवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी मकान नं0 24 विजय बैंकवेट हाल के पीछे नियामत चक थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 23.12.2020 की 6.40 बजे गिरफ्तारी का स्थान - डिघवा तिराहा

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना बांसगांव जगत नारायण सिंह
2. हे0का0 रामअवध यादव थाना बांसगांव
3. का0 मोहम्मद मुस्तफा थाना बांसगांव